कुलसचिव
Registrar

0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांक– कु0स02सी– समिअ / 19648 / (कार्य परि0बैठक–03–04) / 14 दिनांकः– 07 फरवरी, 2014

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 03.02.2014 का कार्यवृत्त

दिनांक 03–02–2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्यपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1– डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति –अध्यक्ष
2– प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय –सदस्य
3– डॉ0समरजीत सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, रीडर, मु0म0टा0स्नातको0 महा0, बलिया –सदस्य
4– प्रो0अक्षय नारायण दूबे, राजनीति विज्ञान विभाग –सदस्य
5– डॉ0पंचदेव सिंह, देवेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिल्थरा रोड, बलिया –सदस्य
6– डॉ0अरविन्द कुमार राम, प्राचार्य, डॉ0श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज0महा0, भदोही,सं0र0न0 –सदस्य
7–डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उपाचार्य, अर्थशास्त्र विभाग –सदस्य
8–डॉ0 उमानाथ श्रीवास्तव, उपाचार्य, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागांव, वारा0 –सदस्य
9–डॉ0समाजीत सिंह यादव, उपाचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग –सदस्य
10–डॉ0महेन्द्र मोहन वर्मा, उपाचार्य, समाजकार्य विभाग –सदस्य
11–डॉ0रमेश चन्द, उपाचार्य, हिन्दी विभाग –सदस्य
12–डॉ0 सुरेन्द्र राम, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग –सदस्य
13–डॉ0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा, प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग –सदस्य
14–डॉ0 पारस नाथ मौर्य, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग –सदस्य
15–डॉ0 साहब लाल मौर्य, कुलसचिव –सदस्य / सचिव
16–प्रो0के0के0 अग्रवाल, एसोसिएट–एन.सी.सी. आफिसर –विशेष आमंत्रित
17–वित्त अधिकारी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी –विशेष आमंत्रित

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0(01)– कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 26.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

निर्णयः– कार्य परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर अपनी गत बैठक दिनांक 30.11.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 26.12.2013 के कार्यवृत्त को पुष्ट किया एवं कृतकार्यवाही से परिषद् अवगत हुई।

बिन्दु सं0(02)– कार्यालय आदेश संख्या–कु0स0–2ए साप्र–I / 8233 / व्यक्ति / 2013 दिनांक 19 जून, 2013 द्वारा 15 जुलाई, 2013 से 31 जुलाई, 2014 तक दीर्घकालीन अवैतनिक अवकाश की तिथि को डॉ0 निरपेक्ष कुमार के निवेदन पर दिनांक 30.07.2013 से 31 जुलाई, 2014 तक कार्यालय आदेश संख्या– कु0स0–2ए साप्र–I / 8233 / व्यक्ति / 2013 दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने की सूचना।

निर्णयः– परिषद् ने उपर्युक्त सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(03)– कार्यालय आदेश संख्या– कु0स0 / 9167 / 2ए साप्र– I–व्यक्ति / 2014 दिनांक 23 जनवरी, 2014 द्वारा श्रीमती मधुलता, सहायक अध्यापिका, जी0सी0एम0 स्कूल, समाजकार्य संकाय को दिनांक 04.03.2014 से 03.03.2016 तक स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः— परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर श्रीमती मधुलता, सहायक अध्यापिका, जी०सी०एम० स्कूल, समाजकार्य संकाय को दिनांक 04.03.2014 से 03.03.2016 तक स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश को अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(04)— कार्यालय आदेश संख्या—कु0रा0/9079/2ए साप्र—I—(कुलानुशासक)/2013 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—18 तथा 49 (ग) एवं परिनियम खण्ड—2.25 एवं 2.28 के अधीन प्रो0कल्पलता पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग को दिनांक 24—12—2013 से एक वर्ष अर्थात् दिनांक 23.12.2014 तक अथवा अगले आदेश तक जो पहले हो, के लिए प्राक्टर (कुलानुशासक) नियुक्त किये जाने की सूचना।

निर्णयः— परिषद् ने प्रो0कल्पलता पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग को दिनांक 24—12—2013 से एक वर्ष अर्थात् दिनांक 23.12.2014 तक अथवा अगले आदेश तक जो पहले हो, के लिए प्राक्टर (कुलानुशासक) नियुक्त किये जाने की सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(05)— कार्यालय आदेश संख्या कु0स0/8998/2ए साप्र—I—(विभागाध्यक्ष)/2013 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 से डॉ0सुशील कुमार गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—49 तथा परिनियम खण्ड—2.19 के अधीन चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने की सूचना।

निर्णयः— परिषद् ने डॉ0सुशील कुमार गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग को चक्रानुक्रम से वरिष्ठताक्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने की सूचना को अंकित किया। साथ ही परिषद् के कतिपय माननीय सदस्य द्वारा डॉ0सुशील कुमार गौतम सदृश्य प्राध्यापक से रीडर पद पर पाये प्रोन्नति के क्रम में उन्हें दिये जा रहे एसोसिएट प्रोफेसर के वेतनमान की विसंगतियों के सम्बन्ध में परिषद् के संज्ञान में लाया गया। परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी समीक्षा की जाय।

बिन्दु सं0(06)— वर्ष 2014 के अवकाश सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः— परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर वर्ष 2014 के अवकाश सूची को अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(07)— महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णयः— 7(1) कार्यपरिषद ने अपनी गत बैठक दिनांक 30.11.2013 के कार्यवृत्त में महाविद्यालयों की सम्बद्धता सम्बन्धी प्रकरण में अधोलिखित आंशिक संशोधन को स्वीकार किया :—

(अ) बिन्दु सं0 07 (क) के उप क्रमांक 18 पर उल्लिखित स्व0 राम बिलास सिंह शिक्षण संस्थान सिकन्दरपुर, चकिया, चन्दौली के सम्मुख उल्लिखित मनोविज्ञान विषय के पश्चात विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषय अंकित किया जाना है।

(ब) बिन्दु संख्या 07 (ग) के उप क्रमांक 04 पर उल्लिखित कृषक पी0जी0 कालेज, राजगढ़, मीरजापुर के सम्मुख अंकित "स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र" के स्थान पर स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में "भूगोल एवं समाजशास्त्र" अंकित किया जाना है।

(स) बिन्दु संख्या 07 (ग) के उप क्रमांक 05 पर उल्लिखित जनता महाविद्यालय, नगरा, बलिया के सम्मुख स्नातक स्तर पर कला संकाय में "हिन्दी एवं समाजशास्त्र" के पश्चात "राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान" अंकित किया जाना है।

(द) पूरक कार्य सूची के बिन्दु सं0 06 के उप क्रमांक 30 पर अंकित बाँके बहादुर सिंह महाविद्यालय, मुजौना, तुर्तीपार, बलिया के सम्मुख उल्लिखित "01.07.2013 से तीन वर्ष में से तीन वर्ष शब्द विलुप्त किया जाना है।"

(य) पूरक कार्य सूची के बिन्दु सं0 06 के उप क्रमांक 40 पर अंकित किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रकसा, रतसर, बलिया के सम्मुख "01.07.2013 से तीन वर्ष" के स्थान पर केवल "01.07.2013" एवं "अस्थायी" के स्थान पर "स्थायी" अंकित किया जाना है।

7(2) कार्यपरिषद ने विचार विमर्श के अनन्तर अधोलिखित महाविद्यालयों को शासन द्वारा दी गयी पूर्वानुमति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता की अनुमति को पुष्ट किया :–

1	2	3	4	5	6
क्र0	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धता की पूर्वानुमति सम्बन्धी शासनादेश का विवरण	विषय / पाठ्यक्रम	प्रभावी तिथि	मान्यता की स्थिति
1.	महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, सरायहोला, अगोली, संत रविदास नगर, भदोही	संख्या–सम्ब0 340 / सत्तर –6–2013–2(251) / 2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013	स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान	01.07. 2013 से तीन वर्ष	अस्थायी
2.	हरदेवानन्द महिला महाविद्यालय, तेन्दुहान, सैयद राजा, चन्दौली	संख्या–सम्ब0 329 / सत्तर–6–2013–2 (268) / 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013	स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र	01.07. 2013 से तीन वर्ष	अस्थायी
3.	उदासीन श्रीचन्द्र महाविद्यालय, करवढ़, डेहरियाडीह, चन्दौली	संख्या–सम्ब0 332 / सत्तर–6–2013 –2 (279) / 2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013	स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र	01.07. 2013 से तीन वर्ष	अस्थायी
4.	माँ खण्डवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चहनियाँ, चन्दौली।	संख्या–1750 / सत्तर–2–2013–16 (165) / 2012, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013	स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अर्थशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान	01.07. 2013	स्थायी
5.	रामध्यान महाविद्यालय, जोगापुर, बुढ़ऊ, बलिया।	संख्या–1750 / सत्तर–2–2013–16 (165) / 2012, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013	स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान	01.07. 2013	स्थायी

7(3) परिषद ने शासन द्वारा अधोलिखित महाविद्यालयों को कमियों की पूर्ति किये जाने की शर्तों के अधीन दी गयी पूर्वानुमति के उपरान्त महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा कमियों की पूर्ति किये जाने / कमियों की पूर्ति किये जाने हेतु दिये गये पत्र के आधार पर सम्बद्धता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान किया :–

1	2	3	4	5	6
क्र0	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धता की पूर्वानुमति सम्बन्धी शासनादेश का विवरण	विषय / पाठ्यक्रम	प्रभावी तिथि	मान्यता की स्थिति
1.	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स एण्ड एजुकेशन, पैगम्बरपुर, पंचक्रोशी, वाराणसी	संख्या–सम्ब0 297 / सत्तर–6–2012–2 (354) / 2012 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012	स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान एवं गृहविज्ञान	01.07.2012 से तीन वर्ष	अस्थायी

2.	शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय, आवाजापुर, सकलडीहा, चन्दौली।	संख्या–सम्ब0 349/सत्तर–6–2013–2(326)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013	स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में भूगोल एवं गृहविज्ञान विषयों तथा स्नातक स्तर पर राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं अर्थशास्त्र	01.07.2013 से दो वर्ष एवं तीन वर्ष	अस्थायी
3.	पन्ना महाविद्यालय, कुशहाँ ब्राह्मण, भीमपुरा नं0–1, बलिया	संख्या–सम्ब0 47/सत्तर –6–2013–2 (655)/2011 दिनांक 08 मई, 2013	बी0एड0 परीक्षाफल मानकानुसार	01.07.2013	स्थायी

बिन्दु सं0(08)– विद्यापरिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 31.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 31.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदित किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :–

बिन्दु सं0(01)– इतिहास विभाग में 2007–08 एवं 2008–09 में शोध पंजीकरण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री सुधांशु कुमार सिंह द्वारा की गई शिकायत के कम में प्रो0सत्या सिंह की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में प्रो0ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गठित उत्तरदायित्व निर्धारण समिति के प्रतिवेदन में इतिहास विभाग, यू0जी0सी0यूनिट एवं वित्त विभाग(शुल्क काउण्टर) को दोषी पाया गया था जिसके परिपेक्ष्य में प्रशासन द्वारा तद्समय सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को चिह्नित किया गया जिसमें इतिहास विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष, प्रो0परमानन्द सिंह(सम्प्रति सेवानिवृत्त), श्री शशिकान्त सिंह, नै0लिपिक एवं श्री पुरुषोत्तम मिश्र, नै0लिपिक, यू0जी0सी0यूनिट के तत्कालीन अधीक्षक श्री राधेश्याम(सम्प्रति सेवानिवृत्त) तथा वित्त विभाग(शुल्क काउण्टर) श्री गणेश राम, वरिष्ठ सहायक एवं श्री रामदरस सिंह, नै0लिपिक जिनके हस्ताक्षर शुल्क रसीद पर पाये गये। प्रो0ओम प्रकाश सिंह के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त व्यक्तियों की प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता मानते हुए परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रो0परमानन्द सिंह(सम्प्रति सेवानिवृत्त) का पेन्शन रोक दिया जाय और उन्हें कारण बताओ नोटिस दी जाय तथा शेष कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिये जाने और उनका स्थानान्तरण किये जाने के निर्णय के साथ ही अन्य कर्मचारियों तथा इतिहास विभाग के अन्य अध्यापकों की संलिप्तता की जांच हेतु निम्न समिति गठित करने का निर्णय लिया–

1. अवकाश प्राप्त न्यायाधीश।
2. प्रो0लोकनाथ सिंह, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग।

बिन्दु सं0(02)– जी0पी0एफ0पटल पर कार्यरत श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, लिपिक द्वारा भविष्य निधि सम्बन्धी चेक को गलत ढंग से आहरित किये जाने के प्रकरण मे प्रो0पी0के0सिंह, अंग्रेजी विभाग के जांच प्रतिवेदन पर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2013 में लिये गये निर्णय के आलोक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट कुलसचिव द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। जाच रिपोर्ट को सदन ने संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया कि श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, लिपिक को निलम्बित किया जाय और उन्हें आरोप पत्र दिया जाय तथा श्री राकेश मिश्र(तात्कालिक अधीक्षक वित्त) को उनके द्वारा तथ्यों को छिपाने एवं जांच में असहयोग किये जाने के कारण, "कारण बताओ नोटिस" दिया जाय।

बिन्दु सं0(03)– कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.08.2013 के बिन्दु संख्या– 04 में श्री पारस नाथ पाण्डेय, परिचर के एक वेतनवृद्धि सदैव के लिए रोकने के आदेश के कम में श्री पाण्डेय के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2013 के कम में लिये गये निर्णय कि "श्री पाण्डेय के पिछले दो वर्ष के कार्य एवं व्यवहार की आख्या विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर कार्य परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाय।"

उक्त के आलोक में संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय की आख्या कुलसचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2013 तक श्री पाण्डेय का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक उल्लिखित था। परिषद् ने संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 01.02.2014 से इनकी रोकी हुई वेतन वृद्धि इस शर्त के साथ अवमुक्त किया जाय कि इन्हें रोकी गई वेतन वृद्धि की अवधि का एरियर देय नहीं होगा साथ ही परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि 03 वर्ष तक इन पर निगरानी रखा जाय, यदि इस अवधि में इनके द्वारा पुनः कोई गलती की जाती है तो इन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं0(04)– कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2013 के बिन्दु सं0–06 के अन्तर्गत श्री शिवराम, पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध मे प्रो0श्रद्धानन्द की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णय कि "डॉ0शिवराम, पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाय।"

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सदन को कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0शिवराम को पत्र दिया गया है और श्री शिवराम द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया है।

परिषद् ने इसे संज्ञान में लिया।

बिन्दु सं0(05)– प्रो0राम मोहन पाठक, पूर्व निदेशक, म0गां0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान(सम्प्रति सेवानिवृत्त) के सम्बन्ध में प्रो0ओम प्रकाश सिंह, म0गां0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु प्रो0आर0पी0सेन की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर महामहिम राज्यपाल

एवं कुलाधिपति के निर्देश के क्रम में कार्यवाही हेतु सदन के समक्ष कुलसचिव द्वारा पढ़ा गया। परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर पुस्तकालयाध्यक्ष के रुप में प्रो0पाठक द्वारा की गई अनियमितता सम्बन्धी पूर्व में की गई जांच की जांच आख्या को प्रशासन द्वारा कार्य परिषद् की अगली बैठक मे प्रस्तुत किया जाय। जॉच समिति की आख्या में शिकायत के अन्य बिन्दुओं की पुष्टि नहीं की गयी।

बिन्दु सं0(06)– परिषद् के कतिपय मा0सदस्यों द्वारा सदन का ध्यान विश्वविद्यालय के गेट नं -02 के अधूरे निर्माण की ओर आकृष्ट किया गया। मा0कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा अग्रेत्तर निर्माण हेतु सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात् भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया जिसके कारण कार्यदायी संस्था के विरुद्ध एफ0आई0आर0किया जा चुका है।

परिषद् ने उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए निर्णय लिया कि शासन को उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए गेट के निर्माण की अनुमति मांगी जाय।

बिन्दु सं0(07)– परिषद् के कतिपय सदस्यों द्वारा सदन को अवगत कराया कि विभागों में मॉडल क्लास रुम की की सुविधायें हैं किन्तु उनका व्यवहारिक रूप में शैक्षणिक कार्य हेतु उपयोग नहीं हो पा रहा है। परिषद् संज्ञान मे लेते हुए निर्णय लिया कि सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया जाय कि जिन विभागों में शैक्षणिक कार्य हेतु उच्च टेक्नोजलॉजी उपलब्ध है उन्हें माडल क्लास रूम से जोड़ते हुए शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग में लिया जाय।

डॉ0(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

* * * * *